पत्रांक–5/न०वि०/ना०सु०–03/2018.......152.......

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

OSP
शहरी परिवहन

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, रांची।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–18/12/18

विषयः–गोड्डा नगर परिषद अन्तर्गत एक सड़क निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कुल ₹ 45,57,700/– के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु शहरी परिवहन मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से कुल ₹ 45,57,700/– (पैतालीस लाख सन्तावन हजार सात सौ रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गोड्डा नगर परिषद अन्तर्गत गोढ़ी ज्ञानी चौक से हरिजन टोला तक 2800 फीट लम्बे पी०सी०सी पथ निर्माण योजना हेतु मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कुल ₹ 45,57,700/– के प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में शहरी परिवहन मद के OSP प्रक्षेत्र अन्तर्गत निकायों के मांग पर आवंटन हेतु प्रावधानित 10% की राशि में से उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु गोड्डा नगर परिषद को कुल ₹ 45,57,700/– (पैतालीस लाख सन्तावन हजार सात सौ रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80– सामान्य–लघुशीर्ष–191– नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–33–शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड– 48S221780191330679 से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा नगर परिषद होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी गोड्डा कोषागार से की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2016-2017) में गोड्डा नगर परिषद द्वारा उक्त बजट शीर्ष से निकासी की गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
i	ii	iii	iv	v
1	गोड्डा नगर परिषद	60/20.06.2016 147/04.11.2016 402/29.03.2017	57,57,303 5,98,203 70,00,000	57,57,303 5,98,203 70,00,000

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।

E:/Mukesh/Ghanshyam/S.O./OSP-9

6. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

8. इस राशि से उक्त योजना का कार्यान्वयन तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

10. कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा नगर परिषद स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए, स्वीकृत राशि से उक्त योजना का निविदा आमंत्रित करते हुए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक– 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/न०वि०/ना०सु०–03/2018 152 राँची, दिनांक– 18/12/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव /सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री कुणाल, CMM को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

E:/Mukesh/Ghanshyam/S.O./OSP-10